केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503 फैक्स : 23753923

याचिका संख्या, 442/टीएल/2019 दिनांक : 24.1.2020

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और रखरखाव के आधार पर "द्वारका और लकडिया, भुज-II, में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनों सहित पारेषण प्रणाली" स्थापित करने के लिए लकडिया–बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021 द्वारा आवेदन किया गया है।

क्र. स.	पारेषण घटक का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
1.	लकडिया पीएस–बनासकांठा पीएस 765 केवी डी/सी लाइन	
2.	लकडिया पीएस–बनासकांठा पीएस 765 केवी डी/सी लाइन के लिए लकडिया और बनासकांठा उपकेन्द्रों में 765 केवी बेज	21 माह (जून, 21)
3.	बनासकांठा अंत में (स्पेयर यूनिट) 1पीएच स्विचेबल लाइन रिएक्टर, 765 केवी, 1X80 एमवीएआर और लकडिया पीएस–बनासकांठा पीएस 765 केवी डी/सी लाइन के बनासकांठा अंत में 2X240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर बेज सहित	

2. आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 834.62 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।

3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सिफारिश की है।

4. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 442/टीएल/2019 में दिनांक 23.1.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।

5. लकडिया बनासकांठा ट्रांसको लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.adanitransmission.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 10.2.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आवेदन को यथासमय पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)
सचिव